पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 02 मार्च, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

रबी विपणन वर्ष 2019–20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय नीति लागू करने का निर्णय

रबी खरीद वर्ष 2019–20 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य

प्रदेश में कुल 6,000 क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे

गेहूं क्रय की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 15 जून, 2019 तक प्रभावी रहेगी

गेहूं क्रय का मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेहूं क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने किसानों को उनकी उपज का उचित तथा लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए रबी विपणन वर्ष 2019–20 हेतु मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत गेहूं का क्रय भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,840 रुपये प्रति कुन्तल की दर से किया जाएगा। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी खरीद वर्ष 2019–20 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है। कृषकों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से केन्द्रों पर गेहूं की आवक होने तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं भी क्रय किया जा सकेगा।

रबी विपणन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय करने हेतु 8 संस्थाएं अधिकृत की गयी हैं। यह संस्थाएं खाद्य विभाग की विपणन शाखा (पंजीकृत सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन/कम्पनीज़), उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0), उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी0सी0एफ0), उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन (यू0पी0सी0यू0), उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0 एग्रो), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (नेफेड)

तथा भारतीय खाद्य निगम हैं। इन संस्थाओं का वर्ष 2019–20 हेतु गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य क्रमशः 12 लाख मीट्रिक टन, 2.50 लाख मीट्रिक टन, 3 लाख मीट्रिक टन, 22 लाख मीट्रिक टन, 5 लाख मीट्रिक टन, 2 लाख मीट्रिक टन, 2 लाख मीट्रिक टन, 1.5 लाख मीट्रिक टन है।

यह निर्णय भी लिया गया है कि आवश्यकतानुसार आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा क्रय संस्थाओं के लक्ष्य को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। किसी अन्य क्रय संस्था को गेहूं खरीद हेतु नामित किया जा सकता है तथा किसी कार्यरत संस्था को खरीद कार्य से हटाया जा सकता है। गेहूं क्रय का जनपदवार/संस्थावार कार्यकारी लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा किया जाएगा। रबी विपणन वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणविनिर्दिष्टियों के अनुसार गेहूं क्रय किया जाएगा।

रबी विपणन वर्ष 2019–20 में गेहूं क्रय की अवधि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए 1 अप्रैल, 2019 से 15 जून, 2019 तक प्रभावी रहेगी। सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुले रखे जाएंगे, किन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे। कृषकों की सुविधा के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में गेहूं क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। रविवार को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी जिलाधिकारी लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत क्रय केन्द्र खुलवा सकेंगे।

प्रदेश में प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था होगी, किन्तु भौगोलिक दृष्टि से यथावश्यक परिवर्तन भी जिलाधिकारी कर सकेंगे। सहकारी समिति की कार्य क्षमता व आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा क्रय केन्द्र का चयन किया जाएगा। क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन इस प्रकार किया जाएगा कि किसी भी किसान को अपना गेहूं विक्रय के लिए 8 किलोमीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े। क्रय केन्द्र मुख्य रूप से उन क्षेत्र में स्थापित किए जाएं, जहां गेहूं की अच्छी आवक होती है और खरीद की अच्छी सम्भावना हो। इस प्रकार, प्रदेश में कुल 6,000 क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। क्रय स्थल निर्धारण हेतु मण्डी, उप मण्डी, एग्रीकल्चरल, मार्केटिंग हब एवं मुख्य मार्ग के समीप के स्थल आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।

रबी विपणन वर्ष 2019–20 में गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल ूणबिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जन सूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। रबी विपणन वर्ष 2019–20 में समस्त क्रय एजेंसियां एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन गेहूं क्रय की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाएंगे। कृषक की भूमि एवं गेहूं के बोए गए रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख सम्बन्धी वेबसाइट से लिंकेज देकर ऑनलाइन कराया जाएगा।

किसान जनपद के अन्दर किसी भी केन्द्र पर गेहूं विक्रय हेतु स्वतंत्र होंगे। क्रय केन्द्रों पर कृषक बन्धुओं को सुविधा उपलब्ध कराने व निर्धारित गुणवत्ता का गेहूं क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के गेहूं की उतराई, छनाई व सफाई में आने वाला व्यय 10 रुपये प्रति कुन्तल कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, किन्तु इस निमित्त कृषक को 10 रुपये प्रति कुन्तल की दर से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उसके बैंक एकाउन्ट में भुगतान क्रय एजेंसी द्वारा किया जाएगा। यह भुगतान गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा।

समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा गेहूं क्रय का मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेहूं क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा।

जनपद गोरखपुर की बन्द पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, हरपुर–गजपुर की 50 एकड़ भूमि सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल प्लाण्ट अथवा फ्यूल प्लाण्ट की स्थापना हेतु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लीज पर हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में

- इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली द्वारा सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल अथवा बायो फ्यूल उत्पादन हेतु धुरियापार चीनी मिल की 50 एकड़ भूमि 30 वर्ष की दीर्धकालीन लीज पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
- धुरियापार चीनी मिल की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 24–07–2018 में प्रस्ताव पारित करते हुए उक्त भूमि को इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन नई दिल्ली को दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति करते हुए अनापत्ति प्रदान की गयी।
- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 12.12.2018 के कम में निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियॉ की बैठक दिनांक 11.02.2019 में पारित उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

उ.प्र. सहकारी समिति (विशेष उपबन्ध) नियमावली 2007 के नियम 3(3) के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिल समिति की प्रबन्ध कमेटी की सुनवाई के पश्चात निबन्धक सहकारी चीनी मिलें उ.प्र. उक्त अधिनियम की धारा–125–क के अन्तर्गत कार्यवाही का विनिश्चय से पूर्व वित्त पोषण संस्थाओं एवं राज्य सरकार से परामर्श प्राप्त करने का प्राविधान है। निबन्धक सहकारी चीनी मिलें उ.प्र. द्वारा उक्त प्राविधान के अन्तर्गत दिनाँकः 03.10.2018 को वित्त पोषक संस्थाओं एवं प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की आहूत बैठक में चीनी मिल की सामान्य निकाय की बैठक दिनाँकः 24.07.2018 में पारित प्रस्ताव के अनुसार बन्द धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. हरपुर, गजपुर, जनपद गोरखपुर की अनुपयोगित 50 एकड़ भूमि को लिग्नो–सैलिलॉजिक बायोमास आधारित सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल प्लाण्ट की स्थापना हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित/अनुमोदित सर्किल रेट के आधार पर आवश्यक भूमि लीज रेंट का नियमानुसार निर्धारण करते हुए 30 वर्ष की लीज पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. नई दिल्ली को हस्तांतरित किये जाने जाने का निर्णय लिया गया था।

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ की प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 12.12.2018 एवं निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियॉ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 11.02.2019 में लिये गए निर्णय के कम में बन्द धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., हरपुर गजपुर, जनपद–गोरखपुर की 50 एकड़ भूमि को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, नई दिल्ली को निर्धारित सर्किल रेट के 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के स्थान पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष **(भूमि के मूल्य का)** की दर से 30 वर्ष की अवधि हेतु भूमि को लीज पर उपलब्ध कराने हेतु संस्तुति की गई है।

चीनी मिल धुरियापार की 50 एकड़ भूमि पर इण्डियन आयल कारपोरेशन लि., नई दिल्ली द्वारा सेकेण्ड जनरेशन एथनॉल प्लान्ट अथवा बायो फ्यूल प्लाण्ट स्थापित किये जाने के लिये लगभग रू.800.00 करोड़ का व्यय होना ऑकलित है। प्रश्नगत भूमि दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने के फलस्वरूप चीनी मिल संघ को चीनी मिल की भूमि हेतु लीज रेन्ट के रूप में रू.65.00 लाख वर्षानुवर्ष वार्षिक आय प्राप्त होगी।

उक्त परियोजना के स्थापित हो जाने की दशा में निकटवर्ती क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के सृजन के साथ–साथ व्यावसायिक गतिविधियॉ प्रारम्भ होंगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश को विभिन्न प्रकार के शुल्क से राजस्व की प्राप्ति होगी।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विकसित परियोजना को चीनी मिल संघ को भार/बन्धक रहित, **''जहाँ है जैसा है''** के आधार पर On Going Concern के रूप में वापस किया जायेगा।

जनपद पीलीभीत की बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल दि किसान को–ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 के साथ मझोला डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स लि0 मझोला को इण्टीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को लीज पर दिए जाने के सम्बन्ध में

- बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल दि किसान को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., एवं मझोला स्टिलरी एण्ड केमिकल्स वर्क्स लि., मझोला, जिला–पीलीभीत को इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने का लिया गया निर्णय।
- मझोला चीनी मिल प्रबन्ध तंत्र एवं उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा क्षेत्र के गन्ना किसानों के हित एवं क्षेत्र के विकास के दृष्टिगत मझोला चीनी मिल व डिस्टलरी को इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने का किया गया अनुरोध।
- गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियां, उ.प्र. द्वारा उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–125 (क) के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. मझोला तथा मझोला डिस्टलरी एण्ड केमिकल्स वर्क्स के मालिकाना हक एवं वित पोषण संस्थाओं के ऋण के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए चीनी मिल, मझोला एवं डिस्टलरी को पुनः संचालित किये जाने हेतु दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।
- इन्टीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ताओं को लीज पर दिये जाने से न्यूनतम रू.400.00 करोड का पूँजी निवेश होगा।
- इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स विकसित होने की दशा में प्रदेश का विकास होगा तथा विभिन्न प्रकार के शुल्क/ड्यूटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी।
- इस परियोजना से लगभग 8,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे साथ ही लगभग 8,000 गन्ना किसान भी इससे लाभान्वित होंगे।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि. मझोला जिला– पीलीभीत को वर्ष 2010–11 से, जो कम पेराई क्षमता होने, पुरानी तकनीकी पर आधारित होना, पेराई हेतु पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने एवं लगातार घाटे में होने के कारण बंद कर दी गई थी। चीनी मिल के बन्द हो जाने के फलस्वरूप उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि. के स्वामित्व वाली मझोला डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स को शीरे की उपलब्धता न होने तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र की स्थापना न हो पाने के कारण मझोला डिस्टलरी एण्ड केमिकल वर्क्स को भी बन्द कर दिया गया था।

बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल दि किसान को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., मझोला के साथ मझोला डिस्टलरी एण्ड केमिकल्स वर्क्स लि., मझोला, जिला–पीलीभीत को समेकित रूप से इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एक ही परिसर में चीनी मिल, कोजनरेशन प्लान्ट एवं आसवनी की स्थापना की जायेगी। इस परियोजना की स्थापना पर होने वाला व्यय भार निजी निवेशक द्वारा वहन किया जायेगा। इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स विकसित करने से प्रदेश में रू.400.00 करोड का निजी क्षेत्र से पूँजी निवेश होगा। टेण्डर एग्रीमेन्ट पूर्ण होने की तिथि से 03 वर्ष में परियोजना की स्थापना कर संचालन किया जाएगा। परियोजना की स्थापना से चीनी मिल क्षेत्र के किसानों की समृद्धि, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा एवं प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी। इस परियोजना से लगभग 8,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे साथ ही लगभग 8,000 गन्ना किसान भी इससे लाभान्वित होंगे तथा प्रदेश को विभिन्न प्रकार के शुल्क/ड्यूटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

जनपद बलिया की बन्द पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा को इण्टीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को लीज पर दिए जाने के सम्बन्ध में

- बन्द पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा जिला–बलिया को इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने का लिया गया निर्णय।
- रसड़ा चीनी मिल प्रबन्ध तंत्र एवं उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा क्षेत्र के गन्ना किसानों के हित एवं क्षेत्र के विकास के दृष्टिगत रसड़ा चीनी मिल को इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने का किया गया अनुरोध।
- गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियां, उ.प्र. द्वारा उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–125 (क) के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा जिला–बलिया के मालिकाना हक एवं वित पोषण संस्थाओं के ऋण के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए चीनी मिल, रसड़ा को पुनः संचालित किये जाने हेतु दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।
- इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ताओं को लीज पर दिये जाने से न्यूनतम रू.400.00 करोड का पूँजी निवेश होगा।
- इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स विकसित होने की दशा में प्रदेश का विकास होगा तथा विभिन्न प्रकार के शुल्क/ड्यूटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी।
- इस परियोजना से लगभग 8,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे साथ ही लगभग 8,000 गन्ना किसान भी इससे लाभान्वित होंगे।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा जिला–बलिया को वर्ष 2006–07 से, जो कम पेराई क्षमता होने, पुरानी तकनीकि पर आधारित होना, पेराई हेतु पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने एवं लगातार घाटे में होने के कारण बंद कर दी गई थी।

बन्द पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा जिला–बलिया को इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एक ही परिसर में चीनी मिल, कोजनरेशन प्लान्ट एवं आसवनी की स्थापना की जायेगी। इस परियोजना की स्थापना पर होने वाला व्यय भार निजी निवेशक द्वारा वहन किया जायेगा। इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स विकसित करने से प्रदेश में रू.400.00 करोड का निजी क्षेत्र से पूँजी निवेश होगा। टेण्डर एग्रीमेन्ट पूर्ण होने की तिथि से 03 वर्ष में परियोजना की स्थापना कर संचालन किया जाएगा। परियोजना की स्थापना से चीनी मिल क्षेत्र के किसानों की समृद्धि, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा एवं प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी। इस परियोजना से लगभग 8,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे साथ ही लगभग 8,000 गन्ना किसान भी इससे लाभान्वित होंगे तथा प्रदेश को विभिन्न प्रकार के शुल्क/ड्यूटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर परियोजना की डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 परिशिष्ट तथा इसकी संशोधित योजना के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में द्रुत क्षेत्रीय परिवहन के माध्यम से समेकित गतिशीलता समाधान द्वारा भीड़–भाड़ व प्रदूषण को कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों तक नागरिकों की पहुँच बढ़ाने व क्षेत्र के संतुलित व सतत् आर्थिक विकास को गति देने हेतु रीजनल रैपिड ट्रॉंजिट सिस्टम (आर०आर०टी०एस०) के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर परियोजना पर विचार किया जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर०आर०टी०एस० परियोजना की मूल पूँजीगत लागत **रूपये 30,668 करोड़** अनुमानित है। प्रस्तुत परियोजना में भारत सरकार की भागीदारी **रू0 6464 करोड़**, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भागीदारी **रू0 1216 करोड़** तथा उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी **रू0 6237** करोड़ है। उक्त के अतिरिक्त **रू0 16480 करोड़** का ऋण तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी **रू0 270 करोड़** है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना है कि प्रश्नगत ऋण भारत सरकार द्वारा लिया जाना है, जिसके लिए गारण्टी तथा ऋण भुगतान आदि भारत सरकार द्वारा किया जाना है।

प्रस्तुत परियोजना का वाणिज्यिक संचालन जुलाई, 2024 से प्रारम्भ किया जाना लक्षित है। परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण रहित वेहतर सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भविष्य में बढ़ते वाहनों के दबाव से मुक्ति मिलेगी।

आर.आर.टी.एस. रेल–आधारित, हाई–स्पीड, उच्च आवर्ती क्षेत्रीय पारगमन प्रणाली है। इसकी डिजाइन गति 180 किमी प्रति घंटा और औसत गति 100 किमी प्रति घंटा (मेट्रो रेल से 3 गुना अधिक) होती है।

परियोजना से व्यापक आर्थिक लाभ, जैसे श्रम व उद्योग की उत्पादकता में सुधार, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगारों का सृजन और इस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आदि भी मिल सकेंगे। इस तरह का हाई–स्पीड नेटवर्क क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार कर संतुलित, समग्र और सतत् शहरी विकास को प्रोत्साहित कर क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का साधन बनेगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट 31 मार्च, 2019 तक दिए जाने का निर्णय

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में खादी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्य में परमपरागत रूप से लगे धुनकर, कत्तिन, बुनकर, रंगरेज, दर्जी आदि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, जिनके पास आय के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, को रोजगार मिलता है। प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग से वित्त पोषित मान्यता प्राप्त खादी संस्थायें उत्पादन व बिक्री के कार्य में लगी हुई है। खादी उत्पादन के विकास एवं बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य एवं प्रयागराज में कुम्भ मेले के आयोजन तथा मण्डल स्तर पर आहूत खादी एवं ग्रामोद्योगी प्रदर्शनियों के आयोजन पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 60 कार्यदिवसों हेतु 05 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई है, जनसामान्य को लाभांवित करने के निमित्त उक्त विशेष छूट शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 31 मार्च, 2019 तक दी जानी प्रस्तावित है।

प्रदेश में खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षो से संचालित बिक्री पर छूट आधारित योजना के स्थान पर उत्पादन पर छूट आधारित पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता दिनॉक 01 अक्टूबर, 2017 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत खादी संस्थाओं को उत्पादन लागत पर 15 प्रतिशत सहायता अनुमन्य है।

खादी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्रोत से 20 प्रतिशत छूट ग्राहकों को दिये जाने पर और 05 प्रतिशत की विशेष छूट फुटकर बिक्री पर दिये जाने से समेकित रूप से 25 प्रतिशत तक की छूट आम जनता को प्राप्त होगी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की ओबरा तापीय परियोजना की इकाई सं0–12 व 13 के सम्बन्ध में

ओबरा परियोजना की 5X200 मे0वा0 की इकाईयों के आर0 एण्ड एम0 की लागत वृद्धि, पूर्व में पुनरीक्षित लागत रू0 2400.23 करोड़ के सापेक्ष पुनरीक्षित लागत रू0 2660.89 करोड़ एवं ओबरा परियोजना की इकाई सं0 12 एवं 13 का रिवाइवल हेतु अनुमानित लागत रु0 185 करोड़ पर अनुमोदन का प्रस्ताव है। ओबरा परियोजना 5X200 मे0वा0 की इकाईयों के आर0 एण्ड एम0 योजना की लागत वृद्धि एवं अग्नि दुर्घटना के उपरान्त इकाई सं0 12 एवं 13 के रिवाईबल से सम्बन्धित प्रस्ताव पर यू0पी0ई0आर0सी0 से भी अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

400/220/132 के0वी0 उपकेन्द्र सम्भल, 400/220/132 के0वी0 उपकेन्द्र सिम्भावली (हापुड़) एवं 765/400/200 के0वी0 उपकेन्द्र मेरठ (हापुड़) एवं तत्सम्बन्धी लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मेरठ मण्डल, मुरादाबाद मण्डल, समग्रता में प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्तमान स्थापित पारेषण के सुदृढ़ीकरण हेतु एवं इन मण्डलों में स्थापित प्राथमिक पारेषण तंत्र के भविष्यगत भार के परिपेक्ष्य में सुचारू पोषण हेतु 765 के0वी0 उपकेन्द्र रामपुर (जी0आई0एस0) (लागत रू0 626.69 करोड़) एवं 400 के0वी0 उपकेन्द्र सम्भल (जी0आई0एस0) एवं तत्सम्बन्धी लाइनें (लागत रू0 413.79 करोड़), पैकेज की कुल लागत रू0 1040.48 करोड़ का कार्य सम्मिलित है। पैकेज –2 में तथा 400 के0वी0 उपकेन्द्र सिम्भावली (जी0आई0एस0) एवं तत्सम्बन्धी लाइनें (लागत रू0 488.02 करोड़) एवं 765 के0वी0 उपकेन्द्र मेरठ (जी0आई0एस0) एवं तत्सम्बन्धी लाइनें (लागत रू0 738.83 करोड़), पैकेज की कुल लागत रू0 1226.85 करोड़ के निर्माण को अनुमोदित किया गया। इन परियोजनाओं का निर्माण पी0पी0पी0 पद्धति पर टैरिफ बेस्ड कॉम्पेटिव बिडिंग आधार पर, इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों की अनुरूपता में करवाया जायेगा।

महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के अतिशीघ्र निस्तारण हेतु जनपद वाराणसी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में

महिलाओं के विरूद्व हो रही अपराधिक घटनाओं का तत्काल विवेचना कराकर सम्बन्धित अपराधिक मुकदमों को शीघ्रातिशीघ्र एवं त्वरित गति से निस्तारित कराकर दोषियों को दण्डित किये जाने के उद्देश्य से जनपद वाराणसी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 01 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी है।

मा0 उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 21.07.2014 में उ0प्र0 के प्रत्येक जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के 01–01 फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा 06 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट अर्थात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के कुल 81 न्यायालय तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के 81 न्यायालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था।

मा0 उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 21.07.2014 की संस्तुति के अनुसार शासनादेश दिनांक 01 सितम्बर 2014 द्वारा सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 80 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का गठन किया जा चुका है।

अवशेष 01 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के फास्ट ट्रैक कोर्ट की जनपद वाराणसी में स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त उक्त कोर्ट के गठन संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा।

जनपद अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

जनपद–अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण का शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। इस हेतु निर्माण ऐजेन्सी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को नामित किया गया है। उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा जनपद–अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन 2075.96 लाख प्रस्तुत किया गया। प्रेषित आगणन का मूल्याकंन प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा किया गया है, और उनके द्वारा इस हेतु लागत रू0–1902.96 लाख ऑकलित की गई है। इसी प्रकार जनपद--चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पुर्नविकास एवं भजन संध्या स्थल के निर्माण हेतु अब कुल लागत रू0–1902.96 लाख की लागत ऑकलित की गई है।

उक्त दोनो योजनाओं में लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टयों से उच्च निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना है अतः मा0 मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

नगर विकास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेनेट्री लैण्डफिल साइट के विकास हेतु ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 22 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कुल 653 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनमें से 17 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषदें तथा 438 नगर पंचायतें हैं।

जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहर की ओर पलायन, नगरीय यातायात में हो रही दिन प्रतिदिन वृद्धि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के त्वरित निराकरण हेतु नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में रखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा कियान्वित/संचालित अवस्थापना सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं–पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगर परिवहन तथा विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा कियान्वित योजनाओं/परियोजनाओं हेतु आगामी 05 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या–2776/नौ–5–2011–71सा/2011 दिनांक 17.06.2011 द्वारा निर्गत किया गया था।

उपर्युक्त शासनादेश में प्रदान की गयी समयावधि दिनांक 17.06.2016 को समाप्त हो गयी है, जिसके कारण नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के वाणिज्यिक विभाग होने की स्थिति में उनके पक्ष में ग्राम पंचायत की भूमि उपलब्ध होने के बावजूद नियमानुसार निःशुल्क रूप से पुनर्ग्रहित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत पूर्व में नगर विकास विभाग से निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2011 के अनुसार ही जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन इत्यादि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव तथा स्वच्छ भारत मिशन के महत्वपूर्ण घटक–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेनेट्री लैण्डफिल साईट के विकास हेतु नगर विकास विभाग को ''सेवारत'' विभाग के श्रेणी में रखते हुए ग्राम समाज की भूमि पुनः आगामी 05 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (छठां संशोधन) नियमावली–2019 की अधिसूचना निर्गत करने के सम्बन्ध में

नोएडा में वाणिज्यिक क्षेत्र में पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत बड़े रिटेल/ डिपार्टमेंटल स्टोर आदि गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (छठॉ संशोधन) नियमावली, 2019 की अधिसूचना निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

होटल, बैंक और सिनेमा मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स में भू–आच्छादन को यथावत 40 प्रतिशत रखा गया है, जबकि 5000 वर्गमी0 से बड़े वाणिज्यिक भूखण्डों में ही 50 प्रतिशत की सीमा तक भू–आच्छादन इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया गया है कि एट्रियम को भू–आच्छादन की गणना में शामिल किया जाएगा।

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत विकास खण्ड भगवतपुर का सृजन

जनपद–प्रयागराज के अन्तर्गत विकास खण्ड भगवतपुर के सृजन संबंधी प्रस्ताव को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित किये गये प्रस्ताव से सरकार की प्रचलित योजनाओं का अधिकतम लाभ जनता को प्राप्त हो सकेगा तथा प्रचलित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं कियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। सृजित किये गये विकास खण्ड के माध्यम से विकास कार्यों का लाभ जनसाधारण को प्राप्त होगा तथा विकास खण्ड तक आम जनता की पहुंच भी सहज होगी। प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

जनपद इलाहाबाद एवं फैजाबाद के नाम परिवर्तित होने के फलस्वरूप उ0प्र0 जिला योजना समिति नियमावली–2008 में संशोधन का निर्णय

1– भारत का संविधान के अनुच्छेद 243यघ के अधीन **उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम,1999** के साथ पठित **उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007** के माध्यम से प्रत्येक जनपद में ज़िला योजना समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।

2– उक्त अधिनियम के प्राविधानों के क्रम में **उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली, 2008** प्रख्यापित हुई।

3– उक्त नियमावली में समय–समय पर आवश्यक संशोधन **उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली,2008, उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2009, उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011** एवं **उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012** द्वारा किये गये हैं।

4– प्रदेश में राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के अनुसार **जनपद इलाहाबाद का नाम जनपद प्रयागराज तथा** अधिसूचना दिनांक 23 नवम्बर,2018 के अनुसार **जनपद फैजाबाद का नाम जनपद अयोध्या** के रूप में परिवर्तित किया गया है।

5– उपरोक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली,2008 की अनुसूची में उक्त जनपदों के पुराने नाम को उनके नये नाम से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नगर निगम, शाहजहांपुर में बहुउद्देशीय ऑडीटोरियम में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी

- नगर निगम, शाहजहॉपुर के क्षेत्रान्तर्गत बहुउद्देशीय आडीटोरियम के निर्माण की प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों पर मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन निवेदित है।
- नगर निगम, शाहजहॉपुर के क्षेत्रान्तर्गत बहुउद्देशीय आडीटोरियम के निर्माण की प्रायोजना के अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ यथा–एक्वास्टिक फाल सीलिंग, वुडेन फ्लोरिंग, एक्वास्टिक कारपेट फ्लोरिंग, एक्वास्टिक वाल पैनेलिंग आदि प्रस्तावित है।
- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नगर निगम, शाहजहॉपुर के क्षेत्रान्तर्गत बहुउद्देशीय आडीटोरियम के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 1704.49 लाख के परीक्षणोपरान्त उसकी लागत रू0 1379.95 लाख. जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) आकलित की गयी है।
- सम्पूर्ण व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। केन्द्र सरकार की व्ययभार में भागीदारी नहीं है।
- प्रस्तावित आडीटोरियम के निर्मित होने से शाहजहॉपुर में 500 लोगों को सामूहिक रूप से सभा करने तथा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- प्रस्ताव से अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना नहीं है।

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा 1985 में संशोधन को मंजूरी

1— उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–5–क (केन्द्रीयत सेवाओं का सृजन) एवं धारा–55 (नियम बनाने की शक्ति) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें आवश्यकतानुसार समय–समय पर अब तक कुल 20 संशोधन किये गये हैं।

2— उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में प**दोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार** करते **हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है।** कार्मिक विभाग की व्यवस्था के अनुसार रू0 8700/– ग्रेड पे अथवा उससे अधिक के पदों पर योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। अतः प्राधिकरण सेवाओं में भी कार्मिक विभाग की उक्त व्यवस्था को अंगीकृत करते हुये ग्रेड वेतन रू0 8700/– या इससे अधिक के पदों पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर कराया जाना है। अतः इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रि–परिषद द्वारा आज दिनांक ....को निम्नवत निर्णय लिया गया :–

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 में इस आशय का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है कि ग्रेड वेतन रू0 8700/– या इससे अधिक के पदों पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जायेगी।

————————————

PN-CM-Cabinet Decisions-02 March, 2019 (Part-1)